कम्प्यूटर परिपत्र सं०- 1920084 दिनांक 05-02-2020

पत्र सं0– टी0आर0यू0–2019–20 / जी0एस0टी0 रिफण्ड–बकाया वसूली / 112 / वाणिज्य कर।

कार्यालयः:
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(टी0आर0यू0)
लखनऊ:: दिनांक, 05 फरवरी, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक / कार्पोरेट सर्किल),
समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेण्ट कमिश्नर (कर निर्धारण / कर वूसली)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः–बकाया वसूली के सम्बंध में।

मुख्यालय द्वारा जी0एस0टी0 में माईग्रेटेड ऐसे डीलर्स, जिनके विरूद्ध वैट अवधि की बकाया है, की सूची प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध करायी गयी है।

व्यास सेन्ट्रल पर उपलब्ध RC मॉड्यूल एवं जी0एस0टी0 रिफण्ड डाटा के विश्लेषण पर पाया गया कि राज्य क्षेत्राधिकार के ऐसे डीलर्स द्वारा जी0एस0टी0 रिफण्ड का दावा किया गया है, जिनके विरूद्ध वैट अवधि की बकाया है।

समसंदर्भ में उ0प्र0 एस0जी0एस0टी0 एवं सी0जी0एस0टी0 अधिनियम / नियमावली के सुसंगत प्राविधान निम्नवत हैं–

धारा–**142(8)(a)** where in pursuance of an assessment or adjudication proceedings instituted, whether before, on or after the appointed day, under the existing law, any amount of tax, interest, fine or penalty becomes recoverable from the person, the same shall, unless recovered under the existing law, be recovered as an arrear of tax under this Act and the amount so recovered shall not be admissible as input tax credit under this Act;

नियम–[142A. Procedure for recovery of dues under existing laws. -

(1) A summary of order issued under any of the existing laws creating demand of tax, interest, penalty, fee or any other dues which becomes recoverable consequent to proceedings launched under the existing law before, on or after the appointed day shall, unless recovered under that law, be recovered under the Act and may be uploaded in **FORM GST DRC-07A** electronically on the common portal for recovery under the Act and the demand of the order shall be posted in Part II of Electronic Liability Register in **FORM GST PMT-01.**

O/c

(2) Where the demand of an order uploaded under sub-rule (1) is rectified or modified or quashed in any proceedings, including in appeal, review or revision, or the recovery is made under the existing laws, a summary thereof shall be uploaded on the common portal in **FORM GST DRC-08A** and Part II of Electronic Liability Register in **FORM GST PMT-01** shall be updated accordingly.]

उल्लेखनीय है कि जी0एस0टी0 कॉमन पोर्टल पर DRC 07A अपलोड करने की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है।

नियम– 92. Order sanctioning refund.-
(1) Where, upon examination of the application, the proper officer is satisfied that a refund under sub-section (5) of section 54 is due and payable to the applicant, he shall make an order in **FORM GST RFD-06** sanctioning the amount of refund to which the applicant is entitled, mentioning therein the amount, if any, refunded to him on a provisional basis under sub-section (6) of section 54, amount adjusted against any outstanding demand under the Act or under any existing law and the balance amount refundable: Provided that in cases where the amount of refund is completely adjusted against any outstanding demand under the Act or under any existing law, an order giving details of the adjustment shall be issued in Part A of **FORM GST RFD-07**.

यह भी उल्लेखनीय है कि ऑनलाईन/ऑफलाईन रिफण्ड मॉड्यूल में Part A of from GST RFD 07 जेनरेट करने की सुविधा अभी उपलबध नहीं है, किन्तु यह स्पष्ट है कि रिफण्ड की प्रक्रिया में जी0एस0टी0 रिफण्ड का दावा करने वाले बकाएदारों के वास्तविक बैंक एकाउंट डिटेल विभाग के पास उपलब्ध होती है तथा इस डिटेल का प्रयोग बकाया वसूली हेतु नियमानुसार किया जाना संभव है।

उक्त समग्र तथ्यों के दृष्टिगत निम्न निर्देश दिये जाते हैं–

1. जी0एस0टी0 रिफण्ड क्लेम करने वाले बकाएदारों के रिफण्ड दावों की प्रोसेसिंग के दौरान RC मॉड्यूल में उपलब्ध बकाया से मिलान किया जायेगा तथा बकाएदारों से वसूली योग्य बकाया की वसूली हेतु नियमानुसार बैंक एकाउंट अटैचमेन्ट की कार्यवाही की जायेगी।
2. बैंक एकाउंट अटैचमेन्ट की कार्यवाही Case to Case बेसिस पर केवल Genuine बकायेदारों के मामलों में ही की जायेगी, जिन मामलों में बैंक एकाउंट अटैचमेन्ट की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होगी, उन मामलों का पूर्ण विवरण ज्वाइण्ट कमिश्नर

(कार्यपालक)/ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्पोरेट सर्किल) के कार्यालय में एक अलग पंजी में दर्ज किया जायेगा। जिन मामलों में बैंक एकाउंट अटैचमेन्ट की कार्यवाही अपेक्षित हो, उन मामलों में Refund Amount बैंक खाते में Remittance से पूर्व सम्बंधित बैंक को सूचना प्रेषित की जायेगी।

3. इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग सम्बंधित ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक) द्वारा की जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में जी0एस0टी0 रिफण्ड विलम्बित न किये जाये। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रक्रिया में किसी भी Genuine टैक्सपेयर का अनावश्यक उत्पीड़न न हो।
4. आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय द्वारा जी0एस0टी0 रिफण्ड का दावा करने वाले बकाएदारों की सूचना VAT MIS के अन्तर्गत Dealer 360 TAB में Refund application having pending RC Link पर उपलब्ध करायी जायेगी तथा संग्रह अनुभाग, मुख्यालय द्वारा इस प्रक्रिया को मॉनिटरिंग की जायेगी, इस श्रेणी के मामलों की मॉनिटरिंग हेतु संग्रह अनुभाग, मुख्यालय के परामर्श से आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय द्वारा RC Module में एक अलग Annexure Live किया जायेगा।

निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

पृष्ठांकन पत्र सं0 एवं दिनांक उक्त।

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, मुख्यालय।
2. एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर, मुख्यालय।
3. ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय।
4. ज्वाइण्ट कमिश्नर (संग्रह) वाणिज्य कर, मुख्यालय।

(अजीत कुमार शुक्ला)
एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।